रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

21/3/89

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 1988/अग्रहायण 5, 1910
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1988 AGRAHAYANA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1988

आ. अ. 107.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट लोकसभा/के उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा उपदर्शित रूप में अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा रीति से तथा समय के अन्दर और रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं. निर्वाचन का विवरण		लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा का उप निर्वाचन 1988 गुजरात	18-गोधरा	श्री मर्चेन्ट बाबूभाई सबूरदास आत्माराम, हनुमान बाजार, दोहाद (गुजरात)	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[संख्या 76/गुजरात/88(1) (लो.स.)]

आदेश से,

टी. सी. सिंघल, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1988

O.N. 107.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Bye-election to the Lok Sabha as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of his election expenses in the manner and within the time and in the manner as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And, whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, after considering the representation made by him if any, is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a Member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	S. L. No. & Name of the Parliament constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification.
1	2	3	4	5
1.	Bye-Election to the Lok Ssbha, 1988.	18—Godhra	Sh. Merchant Babubhai Saburdas Atmaram, Hanuman Bazar, Dohad, (Gujarat.)	Failed to lodge any account of election expense .

[No. 76/GJ/88(1) (HP)]

By Order,

T.C. SINGHAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1988

आ. अ. 108.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार राज्य में 1985 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन में 198-हिल्सा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री भूषण प्रसाद सिंह गांव-डाकघर कोरावन, वाया हिल्सा, नालन्दा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में उक्त श्री भूषण प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/बिहार-वि. स./88]

ORDERS

New Delhi, the 7th November, 1988

O.N. 108.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhushan Prasad Singh, Vill. P. O. Korawan, via Hilsa, Nalanda a contesting candidate for the General Election to Bihar Legislative Assembly, 1985, from 198-Hilsa in the State of Bihar

has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And, whereas the said candidate has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares said Shri Bhushan Prasad Singh, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76|BR-LA|88]

आ. अ. 109.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पश्चिम बंगाल विधान सभा के साधारण निर्वाचन 1987 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अथवा अपना लेखा समय के अंतर्गत और/अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल विधान के लिए साधारण निर्वाचन, 1987	25-सिलिगुड़ी	श्री नाथू हंकानाथ, हुक्काबीटा जोते, डा. घर : खारीबाड़ी, जिला : दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री रूपक मुखर्जी, ए.पी. सी. सारनी, डाक घर : सिलिगुड़ी-4, पश्चिम बंगाल।	-वही-
3.	-वही-	26-फांसिदेवा (अ.ज.जा.)	श्री ओरोन मजूराम, एन. बी. यू. गेट नं. 1, बांर्ड आफिस के समीप, डाक घर : एन. बी. यू., जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।	-वही-
4.	-वही-	93-स्वरूपनगर	श्री सत्येन्द्र नाथ मण्डल, डाक घर और गांव घर्षापुर, जिला उत्तर 24-परगना, पश्चिम बंगाल।	-वही-

[सं. 76/प. ब.-वि. स./88]

आदेश से,

बलवन्त सिंह, अवर सचिव

O.N. 109:—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contensting candidates specified in column (4) of the Table below at the general election to West Bengal Legislative Assembly, 1987 as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses or failed to lodge the account within the time and or in the manner, as shown in column (5) of the said Table, required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisified that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particular of election	S. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidates	Reasons for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General election to West Bengal Legislative Assembly, 1987.	25—Siliguri	Shri Nath Tankanath, Hawdavita Jote, P. O. Kharibari, Distt. Darjeeling, West Bengal.	Failed to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Rupak Mukherjee, A.P.C. Sarani, P.O. Siliguri-4, West Bengal.	-do-
3.	-do-	26—Phansidewa (ST)	Shri Oraon Maturam, N.B.U. Gate No. 1, Near Board Office, P.O. N.B.U., Distt, Darjeeling, West Bengal.	-do-
4.	-do-	93—Swarupnagar	Shri Satyendra Nath Mandal, P.O. & Vill. Chandipur, Distt. North 24—Parganas, West Bengal.	Failed to lodge a account in the manner required by law.

[No. 76/WB—LC/88]

By Order,

BALWANT SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1988

आ. अ 110.-भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री नारायण देव, गांव गोविंदपुर, डा. घ. पानी चौकी बाजार, उत्तर त्रिपुरा जो त्रिपुरा विधान सभा के लिए 51-कटिकछाय विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से हुए साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, श्री नारायण देव, ने सम्यक सूचना दिया जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री नारायण देव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/त्रिपुरा/88/461]

ORDERS

New Delhi, the 7th November, 1988

O.N. 110.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narayan Deb, Village-Govindpur, P.O.-Pani Chowki-bazar, North Tripura a contesting candidate for the general election to Tripura Legislative Assembly from 51-Fatikroy assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, Shri Narayan Deb has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Narayan Deb to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76/TP/88/461]

आ.अ. 111.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मेघालय विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उनके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य के चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
7.	मेघालय विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1988	8-महाबाटी (अ.ज.जा.)	श्री ओरिस्टर स्यांगकाली, बी. पी. ओ. ओरमवाबोग ग्राम-स्यानसेन, री भोई जन्पद, मेघालय।	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8.	-वही-	30-रोल्ला (अ.ज.जा.)	श्री के. मेघीवारजरी महनकरनूम ग्राम डा. घ. वाया चेरापूंजी, मेघालय।	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/मेघा./88/453]

एस. डी. प्रसाद, अवर सचिव

O.N. 111:—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the election to the Legislative Assembly of Meghalaya as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure:

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	No. & Name of constituency	Name of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
7.	General election to the Meghalaya Legislative Assembly, 1988.	8—Mawhati (ST)	Shri Orister Syngkli, B.P.O. Bhoilymbong, Village—Mynsain, Ri-bhoi Sub-Division, Meghalaya.	Failed to lodge the account in the manner required by law.
8.	-do-	30—Shella (ST)	Shri K. Medhi Warjri, Laitkynsew Village, P.O. Via-Cherrapunjee, Meghalaya.	Failed to lodge any account of election expenses.

[No. 76/MEG/88/453]

By Order,

S.D. PERSHAD, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988